

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य), जिला शाजापुर (म.प्र.)

क्र. / खाद्य / साविप्र / प्रेसनोट / 2021 / 340


शाजापुर दिनांक 06/04/2021

..... प्रैस नोट

मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कडिका 8 (1) सहपठित अनुसूची 'दो' में संशोधन दिनांक 11 अप्रैल, 2018 (परिशिष्ट "दो") के अनुसार उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु निम्नांकित संस्थाएं/समूह/समिति पात्र हैं:- (क) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत वर्गीकृत (i) उपभोक्ता सोसायटी (ii) विपणन सोसायटी (iii) उत्पादक सोसायटी (iv) संसाधन सोसायटी (v) बहुप्रयोजन सोसायटी। (ख) महिला स्व-सहायता समूह। (ग) संयुक्त वन प्रबंधन समिति के प्रावधानों के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में शासकीय उचित मूल्य दुकान खोली जाना है, जिसके तहत वर्तमान में शाजापुर जिले में निम्न 28 ग्राम पंचायतें शासकीय उचित मूल्य दुकान विहीन हैं :-

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	दुकान विहीन ग्राम पंचायत का नाम
1	शाजापुर	1-सूरजपुर, 2-चौसला मुसलमान 3-रूलकी 4-मालीखेडा 5-दिल्लोदी 6-बरवाल 7-सोंपखेडा 8-कुलमनखेडी
2	मो.बडोदिया	1-रसूलपुर 2- दुंगनी 3- सरसोदिया 4-कडूला 5-लसुल्डिया जगमाल 6-भटेण्डी 7-धन्देडा 8-अरोलिया
4	कालापीपल	1-मादालाखेडी 2-बोल्दा 3-इमलीखेडा 4-लालाखेडी 5-बागोदा 6-खेजडिया 7-मुडला-मैना
4	शुजालपुर	1-अमलावती 2-नि0 हिसामुद्दीन 3-चितोनी 4-रिछोदा 5-मण्डलखा

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विभाग की वेबसाइट [https:// m ration mitra](https://m.rationmitra) पोर्टल पर शेष रही उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों के लिए पात्र संस्थाएं दिनांक 1.04.2021 से 30.04.2021 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आवेदनो पत्रो पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।



कलेक्टर

जिला शाजापुर (म.प्र.)

शाजापुर दिनांक 06/04/2021

पृ. क्र. / खाद्य / साविप्र / प्रेसनोट / 2021 / 340

प्रतिलिपि:-सहायक संचालक, जनसम्पर्क कार्यालय, जिला शाजापुर को और निःशुल्क प्रकाशनार्थ।


कलेक्टर

जिला शाजापुर (म.प्र.)

